टापर्स घोटाला मामले में हम जिला अध्यक्ष गिरफ्तार

अगरतला से 65 किलोमीटर दूर अमबासा में बुधवार को नदी के ऊपर बने पुल के तिरछा हो जाने के कारण रेलिंग से अटका हुआ वाहन। थोड़ी दूरी पर एक ट्रक पलटा हुआ है

औरंगाबाद, 17 अगस्त (भाषा)। बिहार इंटरमीडियट परीक्षा 2016 टापर्स घोटाला मामले में विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) सेक्युलर के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष अजय कुमार सिंह को बुधवार बिना प्रयोग की गई 19 खाली उत्तर पुस्तिका के साथ गिरफ्तार किया। पटना से आई एसआइटी के एक दल ने औरंगाबाद (हम) सेक्युलर जिला अध्यक्ष अजय कुमार सिंह को नगर थाना अंतर्गत योद्धानगर स्थित उनके निजी आवास से स्थानीय पुलिस के सहयोग से 19 खाली उत्तरपुस्तिका के साथ गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस उपाधीक्षक पीएन साहू ने बताया कि अजय कुमार सिंह के घर से एसआइटी की टीम ने इंटरमीडिएट के बिना प्रयोग की गई 19 पैकेट उत्तर पुस्तिका और एक कार जब्त किया है। उन्होंने बताया कि अजय को पूछताछ के लिए एसआइटी टीम अपने साथ पटना ले गई है। इस बीच हम सेक्युलर प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि अजय कुमार सिंह पार्टी की जिला इकाई के प्रमुख नहीं हैं और नए जिला अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रियाधीन है।

एक टीवी चैनल पर बिहार इंटरमीडियट (प्लस 2) परीक्षा 2016 के कला संकाय में स्टेट टॉपर रही रूबी राय और विज्ञान संकाय में टॉपर रहे सौरव श्रेष्ठ के विषय वस्तु और विशेष ज्ञान से संबंधित साक्षात्कार टेलीकास्ट

- एसआइटी ने 19 खाली उत्तरपुस्तिका के साथ अजय कुमार सिंह को पकड़ा
- हम सेक्युलर प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि अजय कुमार सिंह पार्टी की जिला इकाई के प्रमुख नहीं हैं और नए जिला अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रियाधीन

किए जाने पर एक बार फिर इस प्रदेश के स्कूली शिक्षा की किरकिरी हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले छह जून को शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि वैशाली जिला के विशुन राय कालेज के इंटरमीडिएट के परीक्षाफल में धांधली के आरोप के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराकर पूरे मामले की शीघ्र जांच पुलिस के द्वारा कराई जाए।

इंटरमीडियट टापर्स घोटाला मामले में अग्रतर कार्रवाई करते हुए बीएसईबी ने सौरव श्रेष्ठ और रूबी राय का फिर से मूल्यांकन कराकर उनके परीक्षाफल को रद्द कर दिया था। इस मामले में आरोपित शालिनी और सौरभ की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है जबकि रूबी राय को पिछले 25 जून को गिरफ्तार किया गया था और एक अगस्त को पटना की एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी। पिछले 4 अगस्त को विज्ञान संकाय में में तीसरे स्थान पर रहे राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया था।

इंटरमीडियट टापर्स घोटाले मामले में रूबी राय और विज्ञान संकाय में तीसरे स्थान पर रहे राहुल कुमार सहित बीएसईबी के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह, उनकी पत्नी और प्रदेश में सत्तासीन पार्टी जद (एकी) की पूर्व विधायक ऊषा सिन्हा, बीएसईबी के पूर्व सचिव हरिहर नाथ झा, वैशाली जिला स्थित विशुन राय कालेज के प्राचार्य बच्चा राय सहित अब तक करीब तीन दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

राजद्रोह कानून के 'दुरुपयोग' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)। सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में केंद्र और विभिन्न राज्यों द्वारा राजद्रोह से संबंधित कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। याचिका में दावा किया गया कि छात्रों, पत्रकारों और सामाजिक गतिविधियों में शामिल बुद्धिजीवियों के खिलाफ नियमित आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है।

याचिका के अगले सप्ताह सुनवाई के लिए आने की उम्मीद है। याचिका में आइपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) के दुरुपयोग का निराकरण करने के लिए शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह के आरोप 'लोगों में डर पैदा करने और असहमति को दबाने' के लिए लगाए जा रहे हैं।

एनजीओ कॉमन कॉज की ओर दायर याचिका में कहा गया, बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं, छात्रों के खिलाफ राजद्रोह के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। हाल में कश्मीर पर चर्चा का आयोजन करने के लिए एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिए दायर याचिका में कहा गया है, इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धारा 124 ए (राजद्रोह कानून) के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए एक याचिका दायर की गई है। इसकी वजह से छात्रों, पत्रकारों और सामाजिक कार्य में शामिल बुद्धिजीवियों को नियमित रूप से सताया जा रहा है। यह कहा जाता है कि ये आरोप लोगों में डर पैदा करने और असहमति को दबाने के लिए लगाए जा रहे हैं।

शनिवार को एबीवीपी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बंगलुरु पुलिस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था।

सुंदरबन के लापता मछुआरों में से पांच के शव बरामद

कोलकाता, 17 अगस्त (भाषा)। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के लापता मछुआरों में से पांच के शव बरामद हुए हैं, जबकि भारतीय व बांग्लादेश के तटरक्षक बलों ने तीन मछुआरों को बचा लिया है। आठ अगस्त को चक्रवाती तूफान और भारी बारिश के बीच गहरे समुद्र में गए सुंदरबन के आठ मछुआरे लापता हो गए थे।

इलाके में तलाशी अभियान चलाने वाले सुंदरबन विकास मंत्री मंतुराम पाखीराम ने बताया कि सुंदरबन के केंडो द्वीप में मंगलवार को इन मछुआरों का शव बरामद हुए। उन्होंने बताया कि बुधवार को बचाए गए तीनों मछुआरों को और पांच मछुआरों के शवों को काकद्वीप लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल मछुआरा संघ के अध्यक्ष जयकृष्णा हलदार और सचिव बिजोन मैती ने बताया कि ये मछुआरे एक अगस्त को चार ट्रालों पर सवार होकर हिलसा मछली पकड़ने के लिए निकले थे और 7-8 अगस्त को खराब मौसम के कारण गहरे समुद्र में फंस गए। कुल 31 मछुआरे लापता हो गए थे।

मंत्री ने बताया कि रविवार को इनमें से पांच मछुआरों के शव मिले हैं और तीन मछुआरों को बचा लिया गया है। इनमें से दो मछुआरों को बांग्लादेश के समुद्री इलाके से बचाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल और बांग्लादेश के तटरक्षक नौसैनिक अभी भी समुद्र में लापता अन्य 12 मछुआरों की तलाश कर रहे हैं। शुरुआती खबर में कहा गया था कि मछली पकड़ने वाली दो नावें बांग्लादेश की तरफ बह गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को मृतक मछुआरों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। इसके अलावा उन्होंने बचाए गए मछुआरों का इलाज सरकारी खर्च पर कराने के लिए भी कहा था।

ओड़ीशा में बर्ड फ्लू का खौफ

खारीनासी गांव में मुर्गियां मरीं, विशेषज्ञों ने बर्ड फ्लू खारिज किया

केंद्रपारा, 17 अगस्त (भाषा)। यहां के समुद्र तटीय गांव में एक मुर्गी पालन केंद्र में एक हजार से अधिक मुर्गियों के एक साथ मर जाने के कारण स्थानीय लोगों को बर्ड फ्लू फैलने की आशंका व्याप्त हो गई है।

हालांकि, खारीनासी गांव में मुर्गी पालन केंद्र की जांच करने वाले पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने फ्लू की आशंका को खारिज किया है और कहा है कि मुर्गियों की मौत कोकसिडिओसिस बीमारी के कारण हुई है, बर्ड फ्लू के कारण नहीं। मुख्य जिला पशु चिकित्सा अधिकारी (सीडीवीओ) चैतन्य चरण सेठी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में चूजों सहित करीब 1,100 पक्षियों की मौत हो गई है। फॉर्म के मालिक बानकिम माझी द्वारा मौत के बारे में खबर देने के बाद हम मुर्गी पालन केंद्र पहुंचे। खतरे को देखते हुए मरी हुई मुर्गियों को यहां के जिला पशु चिकित्सा कॉलेज में परीक्षण के लिए ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ नमूनों को यहां भुवनेश्वर के नजदीक पशु चिकित्सा शोध संस्थान ले जाया गया है।

सेल्फी के चक्कर में कुएं में गिरे किशोर का शव निकाला गया

कोयंबटूर, 17 अगस्त (भाषा)। यहां कथित तौर पर मोबाइल से सेल्फी खींचने के दौरान 70 फुट गहरे कुएं में गिरे एक किशोर के शव को बुधवार को दो दिन बाद निकाल लिया गया। पुलिस ने बताया कि 17 वर्षीय किशोर सोमवार को पूर्वाह्न के वक्त कुएं के किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहा था, तभी वह इसमें गिर गया। दमकल और बचाव सेवा विभाग के कर्मियों की खोज के बावजूद शव का मंगलवार की रात तक पता नहीं चल सका था और शव को निकालने के लिए तूतीकोरिन के स्कूबा गोताखोरों के एक दल की मदद ली गई। सात सदस्यीय एक दल सुबह करीब सात बजे ऑक्सीजन सिलेंडरों और आइ विजन कैमरों से लैस होकर कुएं में उतरा और तकरीबन साढ़े सात बजे शव को तलाश लिया गया। पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज गया है।

तीस्ता सीतलवाड़ : गुजरात सरकार से जवाब तलब

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 17 अगस्त। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, पति जावेद आनंद और दो गैर सरकारी संगठनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात सरकार से जवाब मांगा। सीतलवाड़ और अन्य ने अमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अपने खाते जब्त किए जाने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की एक पीठ ने राज्य और अतिरिक्त महान्यायवादी तुषार मेहता को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में उनसे जवाब देने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 सित७बर तय की है।

तीस्ता, पति और दो गैर सरकारी संगठन -सबरंग ट्रस्ट और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर गुजरात हाई कोर्ट के सात अक्तूबर के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उनके निजी बैंक खाते से रोक हटाने से इनकार कर दिया था। अपराध शाखा द्वारा गुलबर्ग सोसायटी को 2002 के दंगा संग्रहालय में बदलने के लिए जुटाई गई राशि में 1.51 करोड़ रुपए के घोटाले में शीतलवाड़ व अन्य के खिलाफ जांच शुरू करने के तुरंत बाद अमदाबाद पुलिस ने यह कदम उठाया था।

हाई कोर्ट ने इस बारे में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था और कहा था कि गुलबर्ग सोसायटी कोष धोखाधड़ी मामले में जांच महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है।

राजा के सहयोगी बाचा को मारने का दावा करने वाला लापता

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के निकट सहयोगी और टूजी मामले का एक अहम गवाह सादिक बाचा की हत्या करने का दावा करने वाला सीबीआइ की पूछताछ से पहले लापता हो गया।

चौबीस साल के के प्रभाकरण ने 17 मई को एक प्रेस कांफ्रेंस में दावा किया था कि उसने 2011 में बाचा की हत्या की थी और एक वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी और बाचा के एक रिश्तेदार को इस अपराध में साझेदार बताया था। सीबीआइ उससे पूछताछ करने की योजना बना रही थी।

प्रभाकरण ने दावा किया था कि बाचा ने सीबीआइ को अहम सूचना दी थी जो टूजी मामले के मुख्य आरोपी राजा के खिलाफ गया था। इसके बाद उसकी हत्या की गई। उसके प्रेस कांफ्रेंस के बाद सीबीआइ ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन प्रभाकरण का पता नहीं चल पाया। एजंसी ने उसे तलाश करने के लिए एक मुहिम छेड़ी है क्योंकि उसका दावा टूजी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाला मामले की प्रकृति बदल सकता है। बाचा की मौत का मामला हत्या के मामले में बदल सकता है और महत्त्वपूर्ण लोग इस मामले में नामित किए जा सकते हैं।

एजंसी सूत्रों ने बताया कि स्थानीय पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है और कुछ अधिकारी प्रभाकरण को मानसिक रूप से अस्थिर बताने की हद तक गए हैं। सूत्रों ने बताया कि उसके परिवार वालों ने भी दावा किया है कि वे प्रभाकरण का अता-पता नहीं जानते हैं। बाचा 2011 में रहस्यमय हालात में लटका पाया गया था। सीबीआइ ने बाचा से बार-बार पूछताछ की थी क्योंकि एजंसी को शक था कि उसकी कंपनी को टूजी घोटाले की कथित रिश्वत को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया।

'बलात्कार मामले में किशोर पर चलेगा वयस्क की तरह मुकदमा'

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)। किशोर न्याय बोर्ड ने बलात्कार मामले में एक किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल व संरक्षण) कानून 2015 में संशोधन के बाद से यह पहला आदेश है। इस संशोधन के जरिए बोर्ड को यह इजाजत दी गई है कि वह बच्चों के किए गए जघन्य अपराधों को सत्र न्यायालय भेज सकता है।

बोर्ड ने कहा कि आरोपी ने इस अपराध को सतर्कतापूर्वक और सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी अरुल वर्मा ने किशोर की तरफ से पेश वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि यह लड़की और किशोर के बीच आपसी सहमति वाला संबंध था। बोर्ड ने कहा कि इस दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। इस किशोर की उम्र 17 साल आंकी गई है। बोर्ड ने कहा कि रिकार्ड और पीड़िता के बयान पर गौर करने से यह भी खुलासा होता है कि किशोर ने सतर्कतापूर्वक और सुनियोजित तरीके से इस कथित बलात्कार को अंजाम दिया। पीड़िता को स्कूल से मोटरसाइकिल से लाया और फिर उसे कार से ले जाया गया। इसके बाद शराब खरीदी और फिर फ्लैट में गए। यह घटनाओं का क्रम है।

स्टालिन का मजाक उड़ाने पर विस से द्रमुक सदस्य निलंबित

चेन्नई, 17 अगस्त (भाषा)। तमिलनाडु विधानसभा में बुधवार को भारी हंगामा हुआ। सत्ताधारी अन्नाद्रमुक के एक सदस्य ने परोक्ष रूप से विपक्ष के नेता एमके स्टालिन का मजाक उड़ाने वाली टिप्पणियां कीं, जिसका द्रमुक ने तीखा विरोध किया। इसके चलते सभी द्रमुक सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया गया और निलंबित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने विधानसभा के मार्शलों को द्रमुक के सदस्यों को बाहर निकालने का आदेश दिया। इससे पहले विपक्ष के सदस्य खड़े होकर टिप्पणियों को रिकार्ड से निकाल देने की मांग कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और उनसे सदन को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करने को कहा।

स्वतंत्रता दिवस

के शुभ अवसर पर नगर वासियों को हार्दिक बधाई

स्वच्छ खागा स्वच्छ भारत

नगर पंचायत खागा नगर वासियों से विनम्र अपेक्षायें रखती है:-

1- नाला/नालियों/मार्ग की पटरियों/सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करें।
2- सफाई होने के बाद मार्गो पर कूड़ा न डालें।
3- पेयजल की टोटियों को खुला न छोड़ें।
4- जानवरों को खुला न छोड़ें और मार्गो पर बांधकर मार्ग अवरूद्ध न करें।
5- जन्म और मृत्यू की सही सूचना निर्धारित समय में कार्यालय में देकर पंजीकरण करायें एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
6- समस्त देयों का भुगतान समय से जमा करके पंचायत प्रशासन के हाथ मजबूत करें।
7- नगर को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। यह नगर आपका अपना ही है।

राजमणि
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत खागा, फतेहपुर

गीता सिंह
अध्यक्ष
नगर पंचायत खागा, फतेहपुर

समस्त सदस्यगण नगर पंचायत खागा

UFLEX 'A part of your daily life'

यूफ्लैक्स लिमिटेड

CIN : L74899DL1988PLC032166

रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048

फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922, वेबसाईट : www.uflexltd.com, इमेल : flexsec@vsnl.net

30.06.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम

(₹ लाखों में)

क्रं0 सं0	विवरण	30.06.2016 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30.06.2015 को समाप्त तिमाही
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	150659	158123
2.	साधारण गतिविधियों से कर पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि)	8540	7653
3.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	8540	7653
4.	कर, मायनॉरिटी इंट्रस्ट एवं सहयोगीयों का अंश लाभ/(हानि) के बाद कुल लाभ/(हानि)	8616	7719
5.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/हानि] (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	8304	10296
6.	समतुल्य अंश पूंजी	7221	7221
7.	पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित	-	-
8.	आय प्रति शेयर (ईपीएस) असाधारण मदों से पूर्व (₹ 10 प्रति) (वार्षिकोकृत नही)		
	मूलभूत	11.93	10.69
	द्रव्य	11.93	10.69
9.	आय प्रति शेयर (ईपीएस) असाधारण मदों के बाद (₹ 10 प्रति) (वार्षिकोकृत नही)		
	मूलभूत	11.93	10.69
	द्रव्य	11.93	10.69

नोट :

1. कंपनी के तुलनात्मक 1 अप्रैल 2016 से प्रभाव के साथ पुनः आरंभ किया गया आईएनडी एएस अपनाया है। परिणाम पहले के वर्षों की प्रासंगिक अवधि के लिए आईएनडी एएस से शिकायत से संबंधित परन्तु सीमित समीक्षा या लेखा परीक्षा के आधीन नही है। हालांकि प्रबंधन ने यथोचित परिश्रम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयोग किया है ताकि वित्तीय परिणाम के मामले सच्चे व निष्पिक्ष रहे। आईएनडी एएस और गत भारतीय जीएएपी के मध्य पहले की अवधि के लिए प्रस्तुत लाभ के बीच, आगे के सुलह के बयान, इसके अंतर्गत है:

क. समेकित वित्तीय परिणाम (₹ लाखों में)

क्रं0 सं0	समायोजन की प्रकृति	30.06.2015 को समाप्त तिमाही
(क)	कुल लाभ गत भारतीय जीएएपी के अनुसार	7618
(ख)	लाभ में वृद्धि/(घाटा) की वजह	
i.	आस्थगित कर	74
ii.	ऋणो पर लेन देन की लागत (कुल)	19
iii.	साथियों के लाभ/(हानि) के शेयर में बदलने के लिए	8
	कुल (ख)	101
	ओसीआई से पूर्व कुल लाभ आईएनडी एएस के अनुसार (क+ख)	7719

ख. स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम (₹ लाखों में)

क्रं0 सं0	समायोजन की प्रकृति	30.06.2015 को समाप्त तिमाही
(क)	कुल लाभ गत भारतीय जीएएपी के अनुसार	4021
(ख)	लाभ में वृद्धि/(घाटा) की वजह	
i.	आस्थगित कर	7
ii.	ऋणो पर लेन देन की लागत (कुल)	(19)
	कुल (ख)	(12)
	ओसीआई से पूर्व कुल लाभ आईएनडी एएस के अनुसार (क+ख)	4009

2. स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर अतिरिक्त सूचना निम्नलिखित है : (₹ लाखों में)

	30.06.2016 समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30.06.2015 समाप्त तिमाही
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	85076	90532
साधारण गतिविधियों से कर पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि)	4653	4009
अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	4653	4009
अवधि के लिये कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/हानि] (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	4521	4344
समतुल्य अंश पूंजी	7221	7221
पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित	-	-
आय प्रति शेयर (ईपीएस) असाधारण मदों से पूर्व (₹ 10 प्रति)		
मूलभूत	6.44	5.55
द्रव्य	6.44	5.55
आय प्रति शेयर (ईपीएस) असाधारण मदों के बाद (₹ 10 प्रति)		
मूलभूत	6.44	5.55
द्रव्य	6.44	5.55

3. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए 30 जून 2016 को समाप्त तिमाही के स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तिय विवरण के विस्तृत प्रारूप का सारांकित अंश है। 30 जून 2016 को समाप्त तिमाही के स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तिय विवरण का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.nseindia.com, www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com पर उपलब्ध है।
4. समेकित वित्तीय परिणामों में सहयुक्त संस्थान, सहायक उपक्रम तथा पूर्णतः स्वामित्वयुक्त सहायक कम्पनियों के परिणाम शामिल हैं।
5. जहाँ भी जरूरी समझा गया, आंकड़ों को पुनः वर्गबद्ध/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
6. ए एस-17 "खण्ड रिर्पोटिंग" के अनुसार कम्पनी द्वारा खण्ड रिर्पोटिंग अब लागू नही है।
7. 17 अगस्त, 2016 को सम्पन्न हुई कम्पनी के निदेशक मंडल की अपनी बैठक में उक्त परिणामों को अनुमोदित व रिकार्ड कर लिया गया।
8. 30 जुन 2016 को समाप्त तिमाही के स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों की कंपनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।

कृते यूफ्लेक्स लिमिटेड
हस्ता/-
(अशोक चतुर्वेदी)
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
DIN - 00023452

स्थान : नोएडा
दिनाक: 17.08.2016